"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 245] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2012—भाद्र 31, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 7514/21-ब/छ.ग./12.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 7356/डी-2501/21-ब/छ.ग./09 रायपुर दि. 31-10-2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे :—

स. क्र. (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरगुजा स्थान अम्बिकापुर	राजस्व जिला अम्बिकापुर

Raipur, the 22nd September 2012

NOTIFICATION

F. No.7514/XXI-B/C.G./12.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes following amendment in this department's previous notification No. 7356/D-2501/XXI-B/C.G./09 Raipur dated 31-10 2009, namley :

AMENDMENT

1. For the entries in serial No. 1 of the said notification the following shall be substituted :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Local Area/Sessions Division (3)
1.	1st Additional Sessions Judge, Surguja at Ambikapur	Ambikapur Revenue District

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.